FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
18/06/24 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.। बावजूद तामील अप्रार्थीगणों की ओर से कोई उप. नहीं। अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। एकपक्षीय बहस सुनी गई। मुताबिक बहस अधि. प्रार्थी "ग्राम चावंडा, ख. सं. 548 (15 बीघा 17 बिस्वा) प्रार्थीगण के कब्जे एवं खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि के पड़ौस में कुआ है, जिससे सिंचाई करते हैं। कुए का जल स्त्रोत ख. सं. 574 में बह रही नदी है। नदी की बजरी से जल-स्तर सही रहता है। नदी की कुछ बजरी प्रार्थीगण के खेत में आ गई है। अप्रार्थी सं. 03 द्वारा प्रार्थीगण की भूमि से बजरी खनन की धमकी दी गई है। अतः अप्रार्थीगणों को पाबंद किया जावे कि वे विवादित भूमि में खनन ना करें।" उपरोक्त बहस, तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा. पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत जमाबंदी, खसरा गिरदावरी के अनुसार ख. सं. 548 (15 बीघा 17 बिस्वा) भूमि में प्रार्थीगण recorded खातेदार है एवं फसल बुवाई करते आ रहे हैं। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति तीनों बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में तय होते हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में अवैध खनन रोका	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of ... of the ...
	जाना न्यायोचित है। अतः अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि ताफैसला मूलवाद विवादित भूमि में किसी प्रकार का खनन ना करें। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल- शुमार होकर दाखिल- दफ्तर हो। Pujn... सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	